

[33]

बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग, संचिका सं०-14/विविध-04/12 647(14) दिनांक 26.3.12.

विषय:- सरकारी सेवकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के उपस्थापन की प्रक्रिया।

निदेशानुसार कहना है कि सरकारी सेवकों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भारी संख्या में दावे प्रशासी विभाग/वित्त विभाग में प्राप्त होते हैं। परन्तु दावों के प्रस्तुतीकरण में अस्पष्टता रहने के कारण इनपर निर्णय लेने में कठिनाई होती है तथा निर्णय में बिलंब होता है।

अतः प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु निर्णय लिया गया है कि सभी प्रतिपूर्ति दावे स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं० 1182 (14) दिनांक 6.2.2006 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संलग्न प्रपत्र-I के अनुसार जांच पत्र तथा प्रपत्र-II के अनुसार अभिलेखों के विवरण के साथ ही कार्यालय प्रधान के माध्यम से प्रशासी विभाग/नियंत्रण पदाधिकारी के समक्ष स्वीकृति हेतु भेजे जायें।

इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कृपया अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों/सरकारी सेवकों को इससे अवगत करा दिया जाय।

अनुलग्नक-यथोपरि।

44X-A

जाँच पत्र-I (चिकित्सा प्रतिपूर्ति)

राज्य के सरकारी सेवकों/उनके आश्रित सदस्यों की चिकित्सा संबंधी प्रतिपूर्ति दावा पर
विचार हेतु जाँचपत्र

- (1) सरकारी सेवक के कार्यालय का नाम:-
- (2) सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम:-
- (3) सरकारी सेवक स्वयं बीमार नहीं हो, तो सरकारी सेवक के बीमार आश्रित का नाम एवं सरकारी सेवक से संबंध:-
- (4) रोग का नाम:-
- (5) चिकित्सा कराये गये सरकारी/सी०जी०एच०एस् से मान्यता प्राप्त/अन्य अस्पताल का नाम:-
- (6) चिकित्सा की अवधि तथा चिकित्सा कराने की प्रकृति
 - (क) अंतर्वासी-कब से कब तक
 - (ख) बहिर्वासी-कब से कब तक
- (7) रेफर करने वाले अस्पताल/चिकित्सा संस्थान का नाम:-
- (8) यदि रेफर नहीं है तो बाध्यकारी स्थिति का स्पष्ट विवरण
- (9) राज्य के बाहर चिकित्सा कराने हेतु सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा है या नहीं:-
- (10) यदि नहीं है, तो बाध्यकारी स्थिति का स्पष्ट विवरण:-
- (11) राज्य के बाहर प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा रेफर किए गए मान्यता प्राप्त अस्पताल में ईलाज कराया गया है या उससे अलग।
- (12) यदि अलग कराया गया है तो उसके लिए बाध्यकारी परिस्थिति का स्पष्ट विवरण
- (13) क्या रोगी हृदय रोग से ग्रसित है।
- (14) यदि हृदय रोग से ग्रसित है तो हृदय में लगाये गये उपकरण का नाम:-
- (15) अन्य लगाए गए उपकरण का नाम:-
- (16) डिस्चार्ज समरी का मूल या अभिप्रमाणित-प्रति संलग्न किया जाय:-
- (17) हॉस्पिटल द्वारा अनुशंसित राशि:-

3. ANMCH अधीक्षक गया-मगध प्रमंडल के सभी जिले।
4. JLNMCH अधीक्षक- भागलपुर- भागलपुर, मुंगेर एवं पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिले।
5. DMCH अधीक्षक दरभंगा- दरभंगा एवं कोशी प्रमंडल के सभी जिले।
6. SKMCH अधीक्षक मुजफ्फरपुर-तिरहुत एवं सारण प्रमंडल के सभी जिले।

तत्संबंधी आदेश ज्ञापक 1182(14) दिनांक 2.6.06 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या-946(14) दिनांक-14.8.2015 के कॉडिका-(8) के आलोक में पूर्व में प्रचलित प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र/प्रपत्र को विलोपित करते हुए एक सरल एवं सुस्पष्ट प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र बनाया गया है जो निम्नवत् होगा:-

चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र

99X-B

- (1) सरकारी सेवक का नाम/ पदनाम एवं कार्यालय/विभाग का नाम:-
- (2) रोगी का नाम एवं सरकारी सेवक से संबंध:-
- (3) रोग/बीमारी का नाम:-
- (4) चिकित्सा कराये गये सरकारी/सी०जी०एच०एस० से मान्यता प्राप्त/अन्य अस्पताल का नाम:-
- (5) चिकित्सा की अवधि तथा चिकित्सा कराने की प्रकृति:-
 - (क) अंतर्वासी चिकित्सा:- दिनांक-से दिनांक-.....तक
 - (ख) बहिर्वासी चिकित्सा:- दिनांक-से दिनांक-तक
- (6) राज्य के बाहर चिकित्सा कराने हेतु सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा है या नहीं, संस्थान/पद नाम:-
- (7) सक्षम प्राधिकार द्वारा चिकित्सा कराने की स्वीकृति (अनुमति)/घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त है या नहीं:-
- (8) चिकित्सा में हुए कुल व्यय राशि:-

चिकित्सारत संस्थान के
अधीक्षक/निदेशक का हस्ताक्षर एवं मुहर

सरकारी सेवक के नियंत्री पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर

आदेश पर प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
निदेशानुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र

- (1) सरकारी सेवक का नाम/पदनाम एवं कार्यालय/विभाग का नाम:-
- (2) रोगी का नाम एवं सरकारी सेवक से संबंध:-
- (3) रोग/बीमारी का नाम:-
- (4) चिकित्सा कराये गये सरकारी/सी०जी०एच०एस० से मान्यता प्राप्त/अन्य अस्पताल का नाम:-
- (5) चिकित्सा की अवधि तथा चिकित्सा कराने की प्रकृति:-
 - (क) अंतर्वासी चिकित्सा:- दिनांक-से दिनांक-.....तक
 - (ख) बहिर्वासी चिकित्सा:- दिनांक-से दिनांक-तक
- (6) राज्य के बाहर चिकित्सा कराने हेतु सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा है या नहीं, संस्थान/पद नाम:-
- (7) सक्षम प्राधिकार द्वारा चिकित्सा कराने की स्वीकृति (अनुमति)/घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त है या नहीं:-
- (8) चिकित्सा में हुए कुल व्यय राशि:-

चिकित्सारत संस्थान के
अधीक्षक/निदेशक का हस्ताक्षर एवं मुहर

सरकारी सेवक के नियंत्री पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन

(19)

CERTIFICATE

परिशिष्ट 9
अधिसूचाएँ तथा परिपत्र
[1]

[बिहार सरकार स्वास्थ्य एवं प० क० विभाग संकल्प सं० 14/विविध-04/2006-1182

(14) पटना दिनांक 2 जून 2006, प्रेषक दीपक कुमार, सरकार के सचिव]

विषय :- राज्य सरकार के कर्मियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में मार्गदर्शन ।
महाशय,

राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से राज्य के अन्दर और बाहर सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा केन्द्रों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कराई गयी अन्तर्वासी और कतिपय चिन्हित रोगों में बर्हिवासी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की शक्ति स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग के संकल्प सं० 1070 दिनांक 20.05.2006

द्वारा संबंधित सरकारी सेवक के नियंत्रण पदाधिकारी और विभागीय सचिव को प्रत्यायोजित की गई है। इस लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के मामले में एकरूपता बनाये रखने और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश/मार्गदर्शन दिया जाना आवश्यक है:-

1. अन्तर्वासी चिकित्सा (In Door)- बिहार उपचार नियमावली, 1947 के प्रावधानों और स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र ज्ञाप संख्या-6/1.535-73-1443(6) स्वा० दिनांक 10.06.75 द्वारा राज्य सरकार के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों जैसे माता-पिता पति-पत्नी/पुत्र-पुत्री को सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा केन्द्रों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कराई गई अन्तर्वासी (In Door)-चिकित्सा के दौरान उन औषधियों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति जिसकी आपूर्ति सरकारी अस्पताल भंडार से नहीं हो पाती है, अनुमान्य है स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या 482(14) दिनांक 24.03.2006 द्वारा बिहार उपचार नियमावली के नियम-1 में टिप्पणी-13 जोड़कर सी०जी०एच०एस० द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों को भी सी०जी०एच०एस० द्वारा निर्धारित दरों पर भुगतान की शर्तों पर अन्तर्वासी चिकित्सा हेतु मान्यता दी गई है। सी०जी०एच०एस० द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची ई-मेल सं० <http://moh.w.nic.in> द्वारा डाउन लोड कर प्राप्त किया जा सकेगा।

2. बहिर्वासी (Out Door) चिकित्सा-स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या 5257(24) दिनांक 8.12.94, 666(6) दिनांक (Out Door) और संकल्प संख्या 1356(24) दिनांक 2.5.2000 (संकल्प की प्रति संलग्न) के द्वारा राज्य सरकार के पदाधिकारी/ कर्मचारी एवं उनके आश्रित सदस्यों को निम्नांकित विशेष रोगों में बहिर्वासी चिकित्सा (व्रज क्ववत) पर हुए व्यय (संबंधित चिकित्सीय संस्थान में होने वाली बहिर्वासी चिकित्सा के क्रम में क्रय की जानेवाली औषधियों एवं जॉच पर होने वाले व्यय) की प्रतिपूर्ति भी अनुमान्य है :-

- (a) यक्ष्मा (I.B)
- (b) कैंसर (Cancer)
- (c) कुष्ठ (Leprosy)
- (d) हृदय की शल्य क्रिया के बाद चिकित्सा पर हुए व्यय।
- (e) गुर्दा (Kidney) प्रत्यारोपन के बाद की चिकित्सा पर हुए व्यय।
- (f) लीभर प्रत्यारोपन के बाद चिकित्सा पर हुए व्यय पर हृदय की शल्य चिकित्सा एवं गुर्दा प्रत्यारोपन के पूर्व हुई बहिर्वासी चिकित्सा के मामले में सिर्फ यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति नियमानुसार अनुमान्य है, जॉच एवं दवा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं। लीभर प्रत्यारोपन के मामले में भी विदेश में जॉच या चिकित्सा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति किसी भी परिस्थिति में अनुमान्य नहीं है।

3. विपत्र की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जॉच की प्रक्रिया - विपत्र की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जॉच के लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(I) राज्य के भीतर कराई गई चिकित्सा से संबंधित 20,000/- (बीस हजार रुपये) मात्र तक के दावे सरकारी सेवक पदास्थापित/कार्यरत हैं। सिविल सर्जन द्वारा विपत्र की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जॉच की जायेगी और विपत्र पर अनुमान्य राशि प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए उसे संबंधित सरकारी सेवक के नियंत्रण पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जायेगा।

(II) राज्य के अन्दर कराई गई चिकित्सा से संबंधित 20,000/- रुपये से उपर के दावे की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जॉच अधीक्षक, पी०एम०सी०एच०, पटना के संयोजकत्व में गठित एक त्रिसदस्यीय समिति द्वारा की जायेगी। उक्त समिति में पी० एम० सी० एच०, पटना के औषधि एवं शल्य क्रिया विभाग के विभागाध्यक्ष सदस्य के रूप में रहेंगे। अधीक्षक, पी०एम०सी०एच० आवश्यकतानुसार किसी अन्य

विभागाध्यक्ष को इस समिति में विशेष आमंत्रित के रूप में बुला सकेंगे । त्रिसदस्यीय समिति की बैठक सप्ताह में दो बार आहूत की जायेगी । विपत्र जॉचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षर कर संबंधित सरकारी सेवक के प्रशासी विभाग को वापस लौटाया जायेगा ।

(III) राज्य के बाहर कराई चिकित्सा व्यय से संबंधित सभी दावों को भी सरकारी सेवक का प्रशासी विभाग अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना को विपत्र की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच के लिए भेजेगा, जो उपरोक्त प्रक्रिया (ii) के अनुसार जाँच कराने के पश्चात विपत्र संबंधित विभाग को वापस लौटायेगा ।

4. दावों की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया- दावों की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :-

- (i) दावा प्रतिपूर्ति के साथ प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना आवश्यक है ।
- (ii) क्रय किये गये औषधियों से संबंधित अभिश्रव/विपत्र संबंधित संस्थान के चिकित्सक के द्वारा मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षरित रहने चाहिए ।
- (iii) प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र अस्पताल/संस्थान के अधीक्षक/निदेशक द्वारा भी मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है ।
- (iv) क्रय की गयी औषधियों से संबंधित कैशमेमो/दवा से संबंधित अस्पताल का पुर्जा की छाया प्रतियां एवं अस्पताल में अन्तर्वासी रोगी का डिस्चार्ज समरी मूल रूप में प्रस्तुत किये जाने चाहिए ।
- (v) स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र सं0 2059(24) दिनांक 27.5.97 (प्रतिलिपि संलग्न) के आलोक में हृदय रोग के मामले में पेस मेकर लगाये जाने पर पेसमेकर मद में अधिकतम रू0 38,000/(अड़तीस हजार रुपये) की प्रतिपूर्ति अनुमान्य है ।
- (vi) स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या 3800(14) दिनांक 10.12.03 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा नेत्र रोग के मामले में लेंस इम्प्लान्टेशन के लिए अधिकतम 5000/-रू0 (पाँच हजार रुपये) लेंस एवं चिकित्सा दोनों पर होने वाले व्यय की अधिकतम सीमा 10,000/-रू0 (दस हजार रुपये) प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित है ।
- (vii) विटामिन शक्तिवर्धक औषधियों एवं खाद्य पदार्थों मदों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमान्य नहीं की जायेगी । डिसपोजेबल मदों की प्रतिपूर्ति भी अनुमान्य नहीं है ।

5. यात्रा भत्ता-वित्त विभाग के परिपत्र ज्ञापांक AI-116/59/2840 एफ0-दिनांक 16.2.1959 (प्रतिलिपि संलग्न) और बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 130 के नीचे राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार चिकित्सा के प्रयोजनार्थ वायुयान एवं वातानुकूलित रेल यात्रा अनुमान्य नहीं है ।

6. स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम के मॉनिटरिंग के व्यवस्था- संबंधित चिकित्सा संस्थान से प्राप्त प्राक्कलन (Estimate) के आधार पर प्राक्कलित राशि का 80 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रुपये तक चिकित्सा अग्रिम सक्षम पदाधिकारी (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से विभागीय सचिव) द्वारा स्वीकृत किया जाना है । किन्तु स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम को निर्धारित समय-सीमा (अधिकतम 6 माह) के भीतर समायोजन सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा अग्रिम के मॉनिटरिंग की व्यवस्था प्रशासी विभाग और नियंत्रण पदाधिकारी दोनों स्तरों पर की जायेगी ।

7. शीर्ष चिकित्सा प्रतिपूर्ति/चिकित्सा अग्रिम में होनेवाले व्यय का वहन आय-व्यय के उसी शीर्ष के अन्तर्गत प्राथमिक इकाई "0147 चिकित्सा प्रतिपूर्ति" से होगा जिससे संबंधित सरकारी सेवक अपने वेतन-भत्ते की निकासी करते हैं ।

निदेशानुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

[2]

बिहार सरकार स्वास्थ्य एवं पं. क० विभाग पटना/संकल्प सं० 1070 (14) दिनांक 20 मई-2006/प्रेषक श्री अरविन्द कुमार सिंह, उप सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना

विषय: राज्य सरकार के कर्मियों की चिकित्सा की स्वीकृति एवं चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र सं० 24/एम12-01/99 4286(24) दिनांक 11.12.99 द्वारा राज्य सरकार के सेवी वर्ग की राज्य के अन्दर सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा में हुए व्यय रू० 5000=00 तक की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के लिए कतिपय शर्तों के अधीन नियंत्रण पदाधिकारी प्राधिकृत है। रू० 5000/- से अधिक की प्रतिपूर्ति के मामलों में प्रतिपूर्ति की स्वीकृति स्वास्थ्य एवं पं. क० विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से दी जाती है । इस व्यवस्था से राज्य कर्मियों को प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त होने में प्रक्रियात्मक विलम्ब का सामना करना पड़ता है और उन्हें आर्थिक कठिनाई भी होती है।

2. इसी प्रकार राज्य से बाहर राज्य कर्मियों को चिकित्सा हेतु बिहार उपचार नियमावली के नियम-26 के द्वारा सरकार को प्राप्त विशेषाधिकार का उपयोग कर, प्राधिकृत चिकित्सक एवं राज्य चिकित्सा पर्षद की अनुशंसा पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से सरकारी अस्पतालों में या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों (टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई कैंसर रोग के लिए एवं सी०एम०सी० भेलोर, गुर्दा रोग के लिए) में चिकित्सा कराने की स्वीकृति दी जाती है। चिकित्सोपरान्त सरकारी कर्मियों के नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्राप्त होने पर जांचोपरान्त अनुमान्य राशि की प्रतिपूर्ति का राज्यादेश वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है। उक्त प्रक्रिया में भी अत्यधिक समय लग जाता है तथा राशि के अभाव में कर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा बाधित होती है ।

3. उपरोक्त प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि:-

- (i) राज्य के अन्दर सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा केन्द्रों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में करायी गयी अन्तर्वासी चिकित्सा और निर्धारित रोगों के संबंध में बहिर्वासी बहिर्वासी चिकित्सा पर 20,000/- रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति की शक्ति संबंधित सरकारी सेवकों के नियंत्रण पदाधिकारी को होगा ।
- (ii) राज्य के अन्दर सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा केन्द्रों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में करायी गयी अन्तर्वासी चिकित्सा और निर्धारित रोगों के संबंध में बहिर्वासी चिकित्सा पर 20,001/-रुपये से 2,00,000/-रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति की शक्ति संबंधित सरकारी सेवक के विभागीय सचिव को होगा। विभागीय सचिव आंतरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी स्वीकृति देंगे। दो लाख से ऊपर के प्रस्ताव में संबंधित विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्णय लिया जायेगा ।
- (iii) राज्य के बाहर सरकारी अस्पतालों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अन्तर्वासी तथा निर्धारित रोगों के संबंध में बहिर्वासी चिकित्सा पर दो लाख तक के व्यय के प्रतिपूर्ति

की शक्ति संबंधित विभागीय सचिव को होगा। विभागीय सचिव आंतरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति देंगे। दो लाख से ऊपर के प्रस्ताव पर संबंधित विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृति दी जायगी।

- (iv) राज्य के बाहर सरकारी अस्पतालों या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में प्रथमवार चिकित्सा कराने की अनुमति के लिये संबंधित प्रस्ताव में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान पटना के निदेशक की अनुशंसा पर संबंधित सरकारी सेवक के नियंत्री पदाधिकारी अनुमति प्रदान करेंगे। इसके पश्चात प्रत्येक चेक-अप के पूर्व संबंधित सरकारी सेवक के विभागीय सचिव को संबंधित बाहरी संस्थान के संबंधित चिकित्सक की अनुशंसा पर अनुमति प्रदान करेंगे।
- (v) राज्य के बाहर अथवा सरकारी अस्पतालों/राज्य सरकार द्वारा अन्य मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अन्तर्वासी चिकित्सा के लिये संबंधित संस्थान के प्राक्कलन के आधार पर 80 प्रतिशत तक की राशि, अधिकतम दो लाख रुपये तक चिकित्सा अग्रिम आंतरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से विभाग के सचिव द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। दो लाख से अधिक चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति के पश्चात विभागीय सचिव द्वारा दी जायेगी।
- (vi) प्रतिपूर्ति से संबंधित स्वीकृत्यादेश प्रतिपूर्ति के लिए सक्षम पदाधिकारी (नियंत्रण पदाधिकारी/विभागीय सचिव) के कार्यालय/विभाग से निर्गत किया जायेगा। अग्रिम से संबंधित स्वीकृत्यादेश संबंधित विभाग से निर्गत किया जायेगा।
- (vii) चिकित्सा/प्रतिपूर्ति / अग्रिम में होने वाले व्यय का वहन आय-व्ययक के उसी शीर्ष से होगा जिससे संबंधित सरकारी सेवक अपना वेतन आदि प्राप्त करते हैं। संबंधित शीर्ष के अन्तर्गत प्राथमिक ईकाई 0147 चिकित्सा प्रतिपूर्ति से विकलनीय होगा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वेतन ईकाई में प्राप्त आवंटन में से चिकित्सा प्रतिपूर्ति/अग्रिम की राशि उल्लिखित प्राथमिक ईकाई में स्थानान्तरित कर प्रतिपूर्ति/अग्रिम विपत्र की निकासी करेंगे। वेतन मद में कुल आवंटित राशि एवं प्रतिपूर्ति ईकाई में स्थानान्तरित राशि उपबंधित राशि से अधिक नहीं होगी।
- (viii) अग्रिम राशि का सामंजन निकासी के अधिकतम छः माह के अन्दर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। पूर्व के अग्रिम के सामंजन नहीं होने पर द्वितीय अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि में अग्रिम सामंजित नहीं होने पर संबंधित सरकारी सेवक को असामंजित अग्रिम की राशि को एक मुश्त जमा करना होगा। अग्रिम की निकासी एक माह के भीतर चिकित्सा प्रारम्भ नहीं होने पर अथवा चिकित्सा हेतु प्रस्थान नहीं करने पर अग्रिम की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त राजकोष में जमा करने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं नियंत्रण पदाधिकारी का होगा।
- (ix) उपरोक्त प्रक्रिया में साधारण परिवर्तन विभाग द्वारा भविष्य में वित्त विभाग की सहमति से किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-9]

बिहार उपचार नियमावली

[35

482(14) पटना, दिनांक 24 मार्च 2006 । प्रेषक ए० के० सिंह सरकार के उप सचिव]

संख्या-14/एम 4-02/2002 482(14) भारत के संविधान की धारा 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बिहार के राज्य पाल राज्य सरकार के सेवी वर्ग के उपचार तथा औषधियों की आपूर्ति से संबंधित अधिसूचना सं.865 एल० एस० जी० दिनांक 2.10.47 द्वारा अधिसूचित बिहार उपचार नियमावली के नियम-1 की टिप्पणी-12 के बाद टिप्पणी-13 के रूप में निम्नांकित संशोधन का निदेश देते हैं ।

संशोधन

नियम-1 की टिप्पणी 12 के बाद टिप्पणी-13 के रूप में निम्नांकित जोड़ी जाय:-

टिप्पणी:-13- राज्य सरकार के सेवी वर्ग सरकारी अस्पतालों एवं सरकार द्वारा सम्पोषित अस्पतालों के अतिरिक्त सेन्ट्रल गर्वमेन्ट हेल्थ स्कीम (सी० जी० एच० एस०) से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में भी चिकित्सा प्राप्त करने के हकदार होंगे तथा सी० जी० एच० एस० से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में करायी गयी चिकित्सा में हुए व्यय का भुगतान सी० जी० एच० एस० द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के आधार पर किया जायगा ।

यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।



5 4 1